महेन्द्र सिंह vs प्रीतम सिंह वगै० 5

प्र० पत्र सं० 227/08 U/s 212 R.T.Act

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8.7.11	पत्रावली प्रस्तुत हुई. वकील प्रार्थी उपस्थित/ प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक की प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act पर बहस सुनी तथा प्रस्तुत पत्रावली मय दस्तावेज [illegible] किया/ प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान नकल जमाबंदी सं० 2061-64 का अवलोकन कराते हुए तर्क दिया कि [illegible] [illegible] 11 [illegible] ग्राम [illegible] तह० नगर [illegible] काश्तकार [illegible] प्रार्थी के पिता [illegible] बहादुर सिंह की [illegible]/ पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य है जिनका खाता प्रा० पत्र की मद नं० 4 में अंकित है/ अप्रार्थी० ने गलत तरीके से अपना नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करा लिया जिससे वे प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा भी है अतः प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी० को [illegible] बाद पाबंद फरमाया जावे/ प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act के निस्तारण हेतु केवल तीन बिंदुओं प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर विचार किया जाना है/ हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थीगण तलबशुदा है/ [illegible] सूचना अनुपस्थित रहे है तथा उन्होंने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का कोई विरोध नहीं किया है/ प्रार्थना पत्र का कोई [illegible] नहीं प्रार्थी का [illegible] [illegible] है [illegible] बाद में सम्पूर्ण [illegible] का निस्तारण मूल वाद में किया जावेगा/ पक्षकारान के मध्य [illegible] आने के बाद [illegible] प्रार्थना-पत्र और [illegible] [illegible] न्यायहित में है/ अतः आदेश है स्वीकार किया जाना [illegible] तथा प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर [illegible] नं० 24/0.39, 50/1.04, 53/0.84, 68/[illegible], 105/[illegible], 115/[illegible], 118/0.30, 125/0.60, 131/0.61, 133/0.32, 312/0.72 [illegible] ग्राम [illegible] [illegible] बाबत दिनांक 18.12.08 [illegible] निषेधाज्ञा मौके हाल [illegible] तक की बनाये रखे की [illegible] बाद के निर्णय [illegible] तक की [illegible] मूल वाद जाकर पत्रावली पैशल [illegible] होकर मूल वाद [illegible] हो [illegible] [illegible] रहे/ [signature]	

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.08.25 11:41:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner